भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1434

जिसका उत्तर सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

1434. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार सितंबर, 2025 में बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) में 2.1 प्रतिशत की भारी कमी से अवगत है, जो आरबीआई के अनुमार 2010-11 के स्तर से कम है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 2025 तथा जनवरी, 2026 में एनपीए की स्थिति क्या है;
(ग) उपरोक्त आंकड़ा बैंकों को उनकी परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार करने में किस हद तक मदद करता है;
(घ) क्या यह सच है कि 2.1 प्रतिशत दर्ज करने के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए निजी बैंकों और विदेशी बैंकों की तुलना में काफी अधिक है; और
(ङ) यदि हाँ, तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए को निजी और विदेशी बैंकों के बराबर लाने के लिए किस प्रकार की योजना बना रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): घरेलू परिचालन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल एनपीए अनुपात अर्थात सकल ऋण और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में, पिछले आठ वित्तीय वर्ष के दौरान निरंतर गिरावट आ रही है, और सितंबर 2025 के अंत में (अनंतिम आंकड़े) 2.15% के अब तक के निचले स्तर पर था, जो 2010-11 के स्तर से अपेक्षाकृत कम है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2015 में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) शुरू की, जिसके बाद सरकार ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को पारदर्शी रूप से पहचानने, स्पष्ट और प्रभावी कानूनों और प्रक्रियाओं के माध्यम से तनावग्रस्त खातों से मूल्य का समाधान और उसकी वसूली करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करने और बढ़ते एनपीए और बढ़ते ऋण चूक की समस्या से निपटने के लिए बैंकों और वित्तीय ईकोसिस्टम में सुधार करने की 4आर रणनीति शुरू की। इन पहलों की बदौलत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में भारी गिरावट आई।

आरबीआई ने यह सूचित किया है कि एससीबी के सकल एनपीए से संबंधित आंकड़े आरबीआई द्वारा मासिक आधार पर एकत्र नहीं किए जाते हैं। हालांकि, आरबीआई के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 30.9.2025 तक घरेलू परिचालन के लिए एससीबी का सकल एनपीए अनुपात 2.15%, पीएसबी का 2.50%, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) का 1.73% और विदेशी बैंकों का 0.80% था। इसके अलावा, मार्च 2018 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सकल एनपीए अनुपात में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और विदेशी बैंकों की तुलना में अधिक कमी देखी गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसबी) सहित एससीबी के सकल एनपीए में लगातार गिरावट के कारण उनके द्वारा किए गए प्रावधान में कमी आई है, जिससे उनकी लाभप्रदता में सुधार हुआ है और अंततः व्यवसायिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मजबूत बैलेंस शीट और निरंतर लाभप्रदता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में परिसंपत्ति की गुणवत्ता के साथ-साथ अंडरराइटिंग में भी सुधार हुआ है।

सरकार और आरबीआई द्वारा गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर रोक लगाने उसे, कम करने और उसकी वसूली के किए उठाए गए व्यापक उपाय, जिसके कारण स्लिपेज रेशियो, यानी मानक अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में एनपीए का नया संचय, पीवीबी की

तुलना में पिछले छह वित्तीय वर्ष से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में लगातार बेहतर हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों (पीएसबी) में स्लिपेज रेशियो सितंबर 2025 में सुधरकर 0.8% हो गया, जो पीवीबी के 1.8% से कम है। उठाए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में व्यापक और स्वचलित पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) स्थापित की गई थी, जिसमें लगभग 80 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर और उधार लेने वाले खातों में समयबद्ध उपचारात्मक कार्रवाइयों के लिए तृतीय पक्ष के आंकड़ों का उपयोग किया गया था ताकि दबाव का सक्रिय रूप से पता लगाया जा सके और बदले में एनपीए की ओर होने वाली गिरावट को कम किया जा सके।

(ii) 'कब्जे में देनदार' से 'नियंत्रण में लेनदार' व्यवस्था की ओर बढ़ने से ऋण संस्कृति में परिवर्तन आया है और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) ने ऋणदाता-उधारकर्ता संबंध को मौलिक रूप से बदल दिया है। आईबीसी के व्यवहारगत प्रभाव को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि मार्च 2025 तक, 13.78 लाख करोड़ रुपये के अंतर्निहित चूक वाले 30,000 से अधिक आवेदनों का पूर्व (प्री एडमिशन) चरण में ही निपटान किया जा चुका है।

(iii) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 तथा ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। सरफेसी में प्रमुख संशोधनों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की लेखा परीक्षा और निरीक्षण करने तथा गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाने का अधिकार दिया है; भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ सभी सुरक्षा हितों का अनिवार्य पंजीकरण किया है; मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त डीआरटी का निर्माण किया है; गैर-संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश करने में सक्षम बनाया है।

(iv) ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के आर्थिक क्षेत्राधिकार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया ताकि डीआरटी उच्च मूल्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जिसके परिणामस्वरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अपेक्षाकृत अधिक वसूली हो सके।

(v) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने एनपीए खातों की प्रभावी निगरानी और संकेंद्रित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेषीकृत दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल और शाखाएं स्थापित की हैं, जिससे त्वरित और बेहतर समाधान/वसूलियां सुकर हो जाती हैं। व्यवसाय प्रतिनिधि का विनियोजन और फीट-ऑन-स्ट्रीट मॉडल को अपनाने से भी बैंकों में एनपीए की वसूली को बढ़ावा मिला है।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 7.6.2019 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा जारी किया गया था ताकि दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराया जा सके जिसमें समाधान योजना को शीघ्र अपनाने के लिए उधारदाताओं को अंतर्निहित प्रोत्साहन दिया जा सके।

(vii) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए आपसी समन्वय से कार्य कर रहे हैं| इनमें सिविल न्यायालयों अथवा ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में वाद दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करना, बातचीत के माध्यम से समझौते/सुलह के माध्यम से और अनर्जक आस्तियों की बिक्री के माध्यम से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में मामले दायर करना शामिल हैं। इनके अलावा, सीआईआरपी को पूरा करने में विलंब का समाधान करने के लिए आईबीसी में विभिन्न संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है जो विधायी अनुमोदन के अधीन हैं।

*****